www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 03.02.2017

सीबीआई ने 17,000 रू. की घूस स्वीकार करने पर दिल्ली पुलिस के उप-निरीक्षक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 17,000/ रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने पर मुण्डका पुलिस स्टेशन,नई दिल्ली में कार्यरत उप-निरीक्षक को गिरफ्तार किया।

शिकायतकर्ता से उसके पानी के टैंक जो कि उप-निरीक्षक द्वारा किसी अन्य मामले में जब्त किया था, को अवमुक्त करने के लिए 25,000 रू. की घूस की माँग के आरोप पर उक्त उप-निरीक्षक के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज हुआ। सीबीआई ने जाल विछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 17,000 रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के परिसर में तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

गिरफ्तार आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, तीस हजारी अदालत, नई दिल्ली के समक्ष आज पेश किया जा रहा है।

****